संख्याः-41/2019/1274/46-1-2019-20(01)/2017

प्रेषक,

राकेश कुमार मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ.प्र. गन्ना शोध परिषद,
शाहजहॉपुर।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 11 अक्टूबर, 2019

विषयः-उ.प्र. गन्ना शोध परिषद् के सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन आदि सेवानैवृत्तिक देयकों के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

वेतन समिति उ.प्र. (2016) के प्रथम प्रतिवेदन के भाग-6 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार उ.प्र. गन्ना शोध परिषद्, शाहजहॉपुर के विभिन्न श्रेणी के पदों के सम्बन्ध में पुनरीक्षित वेतन संरचना के अन्तर्गत सप्तम् वेतनमान की वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्याः-05/2019/2023/46-01-2018-20 (01)/2017, दिनांक 08-03-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2019 के प्रस्तर-10 में उ.प्र. गन्ना शोध परिषद्, शाहजहॉपुर को सेवानिवृत्त कार्मिकों को देय सेवानैवृत्तिक लाभों के सम्बन्ध में राजकीय विभागों के सेवानिवृत्त कार्मिकों हेतु अपनायी गयी प्रक्रिया के अनुसार प्रभावी होगा, का उल्लेख किया गया है। वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्याः-39/2016- सा-03-923/दस-2016-308/2016, दिनाँक 23 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-12 में यह दिशा-निर्देश दिये गये हैं कि राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के अन्य सेवानैवृत्तिक लाभ के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग द्वारा पृथक से आदेश निर्गत किये जाने होंगे। तदनुसार उ.प्र. गन्ना शोध परिषद्, शाहजहॉपुर को शासनादेश दिनांक 08-03-2019 के प्रस्तर-10 के अनुसार शासन द्वारा अलग से शासनादेश निर्गत किये जाने एवं प्रस्तर-10 पर किसी प्रकार की कार्यवाही न किये जाने के आदेश दिनांक 24-08-2019 निर्गत कर दिये गये हैं।

2. उपर्युक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्याः-995सी.डी./ 46-03-10-20(23)/89, दिनांक 09-09-2010 द्वारा परिषद के कार्मिकों को पेंशन की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

सुविधा प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया था। उक्त निर्णय के फलस्वरूप शासनादेश संख्याः-1156सी.डी./46-03-11-20(23)/89टी.सी., दिनांक 16-12-2011 द्वारा उ.प्र. गन्ना शोध परिषद् के कार्मिकों हेतु प्रख्यापित सेवानियमावली के नियम-21 को संशोधित किया गया, जिसके अनुसार यह प्राविधान किया गया कि परिषद् के सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर प्राविडेन्ट फण्ड, ग्रेच्युटी तथा पेंशन के मामले में वही नियम लागू होंगे जो उ.प्र. राज्य कर्मचारियों पर लागू हैं या भविष्य में किये गये संशोधन या तद्विषयक निर्गत शासनादेश व निर्देश सहित यथावत समय-समय पर लागू होते रहेंगे। परन्तु 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके उपरान्त नियुक्त उ.प्र. गन्ना शोध परिषद के कार्मिकों पर उ.प्र. राज्य सरकार के कर्मचारियों की भाँति नव परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी।

3. उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्याः-1856सी.डी./46-03-10-20(23)/89, दिनांक 25 नवम्बर, 2010 द्वारा पेंशन निधि के गठन हेतु वन-टाइम सहायता के रूप में रूपये पाँच करोड़ की धनराशि की, की गयी व्यवस्था के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2010-11 में परिषद् द्वारा प्रस्तावित किये गये परिषदीय अंशदान की धनराशि रू.160.00 लाख (रूपये एक करोड़ साठ लाख मात्र) से पेंशन का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये। तत्क्रम में शासनादेश संख्याः-678सी.डी./46-03-11-2(श.वि.नि.)/ 2010, दिनांक 15 अप्रैल, 2011 द्वारा रूपये पाँच करोड़ की धनराशि वन-टाइम सहायता (One time Assistance) के रूप में व्यवस्था की गयी।

4. उक्त निर्गत शासनादेशों को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन का भुगतान (राशिकरण देय नहीं) शासनादेश संख्या-678सी.डी./46-03-11-2(श.वि.नि.)/2010, दिनांक 15 अप्रैल, 2011 द्वारा पेंशन निधि हेतु प्राविधानित धनराशि रूपये पाँच करोड़ से प्राप्त ब्याज तथा उ.प्र. गन्ना शोध परिषद् की स्वयं की आय से प्राप्त धनराशि के 50 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जाय।

5. इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि :-

(1) उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के दिनांक 01-01-2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत हुये कार्मिकों की पेंशन का पुनरीक्षण दिनांक 01-01-2016 के पूर्व के सरकारी पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण सम्बन्धी शासनादेश संख्या-39/2016-सा-3-923/दस-2016-308/2016, दिनांक 23-12-2016, शासनादेश संख्या-23/2017/सा-3-329/दस-2017-308/2016, दिनांक 18-07-2017, शासनादेश संख्या-31/2017/सा-3-524/दस-2017-308/2016, दिनांक 04-09-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

2017 एवं शासनादेश संख्या-15/2018/सा-3-10/दस-2018-308/2016, दिनांक 01-05-2018 के अनुसार किया जायेगा।

(2) परिषद के दिनांक 01-01-2016 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त/दिवंगत कार्मिकों की पेंशन, पारिवारिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी का आगणन दिनांक 01-01-2016 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त/दिवंगत हुये कार्मिकों के संबंध में जारी शासनादेश संख्या-38/2016-सा-3-921/दस-2016-308/2016, दिनांक 23-12-2016 के अनुसार किया जायेगा।

(3) परिषद के सेवानिवृत्त कार्मिकों को राशिकरण की सुविधा अनुमन्य नहीं है।

(4) इन आदेशों के क्रम में पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण/निर्धारण के फलस्वरूप देय एरियर का भुगतान परिषद द्वारा अपने संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किश्तों में किया जायेगा।"

6. उक्त शासनादेश के वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्याः-679/दस-2019, दिनांक 11 अक्टूबर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राकेश कुमार मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/लेखा परीक्षा प्रथम, उ.प्र., इलाहाबाद।
2. गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
3. निदेशक, पेंशन निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चीनी एवं गन्ना आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
6. गार्ड-फाईल।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in